

राष्ट्रीय आवास बैंक NATIONAL HOUSING BANK

(भारतीय रिजर्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में / Wholly owned by the Reserve Bank of India)



पंजीकरण प्रमाणपत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION

(जनता की जमाशियां स्वीकार करने के लिए वैध नहीं)

[NOT VALID FOR ACCEPTANCE OF PUBLIC DEPOSITS]

सं 0 / No. 02.0062.05

1987 के राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम की धारा 29ए के तहत
राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड

(पूर्ववर्ती वास्तु फाइनेंस लिमिटेड)

को दूसरी तरफ उद्धृत शर्तों पर

जनता से जमाशियां स्वीकार किए बिना

आवास वित्त संस्थान का व्यापार प्रारंभ करने / करते रहने के लिए

यह पंजीकरण प्रमाण पत्र एतद्वारा जारी किया जाता है।

In exercise of the powers conferred on the National Housing Bank by
Section 29A of The National Housing Bank Act, 1987

Vastu Housing Finance Corporation Limited
(Formerly Vastu Finance Limited)

is hereby granted Certificate of Registration
to commence / carry on the business of a housing finance institution

without accepting public deposits


subject to the conditions given on the reverse.

मेरे हस्ताक्षर के अधीन नई दिल्ली में आज वर्ष दो हजारपांच
के अक्टूबर माह के सत्ताइसवें दिन जारी किया गया।

Given under my hand at New Delhi thistwenty seventh day of the month of
October in the year two thousand five



राष्ट्रीय
आवास बैंक
NATIONAL
HOUSING BANK


प्राधिकृत हस्ताक्षरी
Authorised Signatory